DISTRICT HEALTH SOCIETY, SHEIKHPURA
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा
DPM कार्यालय, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल,कैम्पस
गिरिहिण्डा चौक, शेखपुरा। पिन कोड : 811105

दूरभाष एवं फैक्स संख्या–06341–225031
E-mail : dhs.skhp@gmail.com
: dhs_skhp@rediffmail.com

–: अल्पकालीन निविदा सूचना :–

कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना का पत्रांक 6205 दिनांक 26.12.2016 एवं पत्रांक 6507 दिनांक 11.01.2017 के आलोक में सदर अस्पताल, शेखपुरा के लिए मशीन उपकरण, उपस्कर, सामग्री क्रय करने हेतु निम्नलिखित शर्त्तो के साथ सरकारी एवं गैर सरकारी पंजीकृत निविदादाताओं से निविदा प्रथम प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर तकनीकी एवं वित्तीय निविदा (तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा का लिफाफा एक बड़े लिफाफा में होना चाहिए) निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, डी0पी0एम0 कार्यालय, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल परिसर, गिरहिण्डा, शेखपुरा–811105 के पते पर आमंत्रित की जाती है।

शर्तें

1. सभी निविदादाताओं को निविदा के साथ आयकर एवं बिक्रीकर (Vat) में निबंधित होने का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदा के प्रत्येक मशीन उपकरण, उपस्कर, सामग्रियों का दर टैक्स सहिंत एवं टैक्स रहित Computer Typing में होना चाहिए एवं वित्तीय निविदा में भी सभी उपकरण, उपस्कर, सामग्रियों के सामने निर्माणकर्त्ता का नाम लिखा होना चाहिए।
3. शर्तयुक्त निविदा मान्य नही होगा।
4. निविदा मुहरबंद लिफाफा जिसके बाहर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में लिखा हुआ होना चाहिए एवं दोनों लिफाफा एक बड़े लिफाफा के अन्दर होना चाहिए एवं बड़े लिफाफा पर 'उपकरण, उपस्कर, सामाग्री हेतु निविदा' लिखा होना चाहिए।
5. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. निविदा के साथ अग्रधन की राशि 80,000.00 (अस्सी हजार) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट जो कि जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा के पदनाम से प्रतिज्ञापित हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाताओं को फर्म/कम्पनी/एजेंसी के मालिक/पार्टनर का पता एवं आवासीय पता मोवाईल नम्बर के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदादाताओं को उपकरण, उपस्कर, सामग्रियों के निर्माणकर्त्ता कम्पनी का प्राधिकार पत्र संलग्न करना होगा। निविदा में उपकरण, उपस्कर, सामाग्री International स्तर का मानक एवं अच्छा ब्राण्ड होना चाहिए।
9. मशीन–उपकरण, उपस्कर एवं सामग्री की सूची किसी भी कार्य दिवस में डी0पी0एम0 कार्यालय, गिरहिण्डा, शेखपुरा से यां www.sheikhpura.bih.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।
10. क्रय समिति को यह अधिकार होगा कि यह निविदा पूर्णतः या अंशतः बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार एवं रद्द कर सकती हैं।
11. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी, तकनीकी निविदा योग्य पाये जाने पर हीं वित्तिय निविदा खोली जायेगी।

DISTRICT HEALTH SOCIETY, SHEIKHPURA
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा
DPM कार्यालय, श्री कृष्ण जनाना अस्पताल,कैम्पस
गिरिहिण्डा चौक, शेखपुरा। पिन कोड : 811105

दूरभाष एवं फैक्स संख्या–06341–225031
E-mail : dhs.skhp@gmail.com
: dhs_skhp@rediffmail.com

12. निविदा खुलने की तिथि निर्धारित कर साधारण डाक के द्वारा या दुरभाष / मोवाईल पर सूचना दी जायेगी, उसमे आप या आपके प्रतिनिधि भाग ले सकते हैं, आपके भाग नही लेने पर भी निविदा खोल दी जायेगी।
13. क्रय समिति द्वारा अनुमोदित दर पर निर्गत क्रयादेश के आलोक में आपूर्तिकर्त्ता को अपने खर्च पर दस (10) दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी भंडार तक पहूँचाना होगा। परिवर्तन एवं विलम्ब के लिए अधिभार व्यय के साथ आपूर्ति की जाने वाली उपकरण, सामग्री की टुट–फुट एवं घटित घटनाओं की क्षति–पूर्ति संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा की जाएगी।
14. सभी निविदादाताओं को अन्य संस्थानों को पूर्व में आपूर्ति की गई सामग्रियों एवं मशीन उपकरण एवं उपस्कर का आपूर्ति लेने वाले पदाधिकारी द्वारा Performance Report संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. लघु उद्योग इकाई को निबंधित होना एवं उत्पादनरत होना अनिवार्य होगा इसका प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा कि इकाई उत्पादनरत है तथा इकाई द्वारा स्वउत्पादित सामग्रियों की आपूर्ति की जायेगी तथा लघु उधोग इकाई भी आई०एस०आई० / आई०एस०ओ० प्रमाणित होना चाहिए।
16. निविदादाता को अपने फर्म को काली सूची में दर्ज नहीं होने का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
17. सभी उपकरण एवं उपस्कर का दर बाजार दर से कम होना चाहिए, इस आशय का शपथ–पत्र भी संलग्न करना होगा। अगर भविष्य में किसी उपकरण, उपस्कर का दर बाजार से अधिक पाया गया तो संबंधित निविदादाता जिम्मेवार होगें।
18. सभी मशीन उपकरण ISI या ISO MARK वाले ही आपूर्ति करने होगें एवं आपूर्ति किए गए मशीन उपकरण को खराब होने पर एक साल तक मरम्मती कराना अनिवार्य होगा। मशीन उपकरण का अधिष्ठापन निर्धारित स्थान पर करने की जिम्मेबारी संबंधित निविदादाता की होगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
19. सभी मशीन उपकरण पर निर्माता फर्म का नाम एवं पता रहना अनिवार्य होगा।
20. निविदा संबंधी किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र, शेखपुरा जिला रहेगा।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

उपविकास आयुक्त
शेखपुरा

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, शेखपुरा

DISTRICT HEALTH SOCIETY, SHEIKHPURA

List of Equipments for District Hospital

Sl.No.	List of Equipment
1	Autoclave
2	12 Channel ECG Machine
3	Boyle's Machine
4	Hydrolic OT Table
5	Wheel Chair
6	Diathermy surgical
7	Crash cart
8	Semi Flower Bed
9	Oxygen Concentrator
10	Anaesthesia Trolley
11	Cardiac Monitor(for OT)
12	Defibrilator (For OT)
13	Incubator (For Lab)
14	Laryngoscope
15	Mobile Shadow Light
16	Multipara Monitor Nebulizer
17	Pulseoxyemeter
18	Shadow less light (Dome)
19	Suction Machine
20	Syringe Pump
21	Labour Table with mattress
22	Opthalmic Micro Scope
23	A scan (Eye)

22.12.17

Civil Surgeon-cum-
Member secretary, sheikhpura